भारत सरकार / Government of India
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / Ministry of Commerce & Industry,
विकास आयुक्त का कार्यालय / Office of the Development Commissioner,
सीप्ज़ – विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ-Special Economic Zone,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई / Andheri (E), Mumbai – 400 096
टेलि. / Tel. : 022-28294789/28294500 फैक्स / Fax : 28291754,
ईमेल- / E-mail: ddcseepz-mah@nic.in, वेबसाइट / Website: www.seepz.gov.in

सत्यमेव जयते

निविदा आमंत्रण सूचना

विकास आयुक्त कार्यालय, सीप्ज़ – सेज़, मुंबई के लिए इसके साथ संलग्न निबंधन एवं शर्तों के अनुसार वाहन किराए पर लेने के लिए वाहन प्रदाताओं से मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित किए जाते है:-

कोटि	आवश्यक गाडीयों की संख्या	टिप्पणियां
मारूती डिजायर / टाटा इंडिगो अथवा समतुल्य (पेट्रोल/ डीजल) पीला नंबर प्लेट)	01 (एक)	1 महीने में 30 दिनों अथवा 1700 कि.मी तक का उपयोग । वाहन दिन में 24 घंटे तथा वर्ष में 365 दिन के दौरान सीप्ज़ – सेज़ के पूर्ण नियंत्रण में रहेगा ।

1. ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातेः-

1.1	पूर्व बोली सम्मेलन	संपदा प्रबंधक कार्यालय, सीप्ज़ – सेज़ प्राधिकरण के कार्यालय में दिनांक 12.10.2018 को पूर्वाह्न 11.30 बजे
1.2	पूर्व अर्हता बोली	निविदादाता संलग्नक - I के अनुसार स्वअनुप्रमाणित दस्तावेज़ों की प्रतिलिपयां संलग्न करें ।
1.3	मूल्यांकन तथा चयन	संलग्नक – II के अनुसार
1.4	निविदा दस्तावेज़ों की बिक्री की अवधि	दिनांक 03.10.2018 से 24.10.2018 के 12.00 बजे तक निविदा दस्तावेज़ www.seepz.gov.in तथा www.eprocure.gov.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं ।
1.5	निविदा दस्तावेज़ों की लागत	निःशुल्क
1.6	विधिवत भरे गए निविदा दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख समय के साथ (मुहरबंद स्थिति में)	दिनांक 24.10.2018 को अपराह्न 14.30 बजे तक
1.7	निविदा दस्तावेज़ों के खोले जाने की तारीख तथा समय	सीप्ज़ सर्विस सेंटर के सम्मेलन कक्ष में दिनांक 24.10.2018 को अपराह्न बजे 15.30
1.8	प्रतिभूति जमा निष्पादन गारंटी / (पीजीडी) जमा	संविदा मूल्य का 10%
1.9	बयाना जमा राशि /बोली प्रतिभूति	50,000/- (पचास हजार रू. मात्र)

पीए नं 1324
03/10/18

<u>निबंधन एवं शर्तें:-</u>

2. ऐसे निविदादाता अन्य ऐसे संगठनों जहां उन्होंने हाल ही में इस प्रकार की सेवाएं दी हों तथा दे रहे हों, अपने स्वामित्व वाले वाहनों के पंजीकरण संख्या के साथ कुल वाहनों की संख्या का विवरण अपनी निविदा में देंगे।
3. इच्छुक निविदादाताओं से अनुरोध है कि वे प्रस्तुत की जाने वाली बोलियों में **(जीएसटी को जोड़कर)** लगाई जाने वाली कीमतों का उल्लेख करें। निविदादाता अपने दस्तावेजों में जीएसटी पंजीकरण का उल्लेख करें।
4. निविदा दस्तावेज वेबसाइट www.seepz.gov.in तथा सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल के वेबसाइट www.eprocure.gov.in से डाउनलोड कर सकते है।
5. फर्म को इस क्षेत्र का दिनांक 31.8.2018 को पिछले 07 वर्षों का अनुभव होना चाहिए।
6. फर्म को इस क्षेत्र में 10 लाख प्रति वर्ष का कम से कम टर्न ओवर होना चाहिए।
7. फर्म कम से कम 10 ऐसे ग्राहकों की सूची प्रस्तुत करे जिनमें सरकारी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के उपक्रम शामिल हो।
8. फर्म का आयकर विभाग में पंजीकरण हो तथा उसके पास पैन / जीआइआर/ जीएसटी पंजीकरण नं. हो।
9. फर्म मुंबई तथा बृहन्मुंबई की नगर पालिका सीमाओं के अंदर कार्य करता हो।
10. कोटेशन 2 लिफोफों में दिया जाए, <u>लिफाफा 1</u> – जिसके ऊपर "पूर्व अर्हता / तकनीकी बोली" लिखा हो तथा <u>लिफाफा 2</u> - पर "वित्तीय बोली" लिखा हो। ये सीलबंद लिफाफे एक बड़े लिफाफे में रख कर सीलबंद किए जाए जिसके ऊपर वाहन के लिए "पूर्व अर्हता / तकनीकी बोली" लिखा जाए।
11. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख दिनांक <u>24.10.2018</u> के <u>14.30</u> बजे तक है, जोकि सीप्ज़ सर्विस सेंटर बिल्डिंग, अंधेरी पूर्व, मुंबई के सम्मेलन हॉल में उसी दिन <u>15.30</u> बजे पार्टियों अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों जोकि निविदा खोले जाने के समय उपस्थित रहना चाहे, की उपस्थिति में खोली जाएगी। विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़ को बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं अथवा किसी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार है। अंतिम तारीख तथा समय जिसका ऊपर पैरा में उल्लेख किया गया है, के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
12. बयाना जमा के रूप में 50,000/- (पचास हजार रूपए मात्र) (बोली के सफल न होने पर प्रतिदेय होगा) डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक के रूप में "वेतन तथा लेखा अधिकारी, सीप्ज़ - सेज़" के नाम जोकि मुंबई में देय होगा, निविदा प्रस्तुत करते समय 1 अलग लिफाफे में जिसके ऊपर बोलीदाता का नाम तथा "बोली प्रतिभूति जमा" लिखा हो प्रस्तुत किया जाए। बयाना राशि के बिना बोली को बातिल माना जाएगा तथा यह खोलने के योग्य नहीं माना जाएगा। बयाना राशि के बिना अथवा अन्य किसी भी प्रकार से जो कि निर्धारित विधि से भिन्न होगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा।
13. निविदा विधिवत हस्ताक्षरित हो तथा इस पर कंपनी / फर्म की सील लगी हुई हो तथा यह सभी प्रकार से मुद्रित रूप में हो तथा निविदा दस्तावेज़ों के प्रत्येक पृष्ठ पर जिसमें विशिष्टियां आदि भी शामिल हैं पर दस्तावेज़ो के सबसे नीचे बायीं ओर बोलीदाता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित किए गए हो, प्रत्येक सुधार / परिवर्धन / परिशोधन / अधिलेखन / चिपकाई गई पर्ची पर बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों।
14. अपूर्ण / अस्पष्ट तथा सशर्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी।
15. बोलीदाता को प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में प्राधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा (व्यक्ति / कंपनी / साझेदारी फर्म के संघ के मामले में लागू)।

पीएन 324
23/10/18

16. फर्म द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली निविदा के मामले में यह, इसके प्रत्येक पार्टनर द्वारा अलग-अलग हस्ताक्षर किए जाए अथवा किसी पार्टनर के न होने की स्थिति में उसकी ओर से उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाए जिसके पास हस्ताक्षर करने के प्राधिकार का मुख्तारनामा हो।

17. समिति यदि चाहे तो, बिना कोई कारण बताए बोलीदाता की पात्रता से संबंधित किसी एक अथवा अन्य शर्तों को शिथिल कर सकती है, उसमें / उनमें संशोधन कर सकती है। बोली प्रस्तुत करने के पश्चात इस संबंध में कोई पूछताछ नहीं की जा सकती है।

18. बोली वापस ली जाने की स्थिति में बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी।

19. सफल बोलीदाता को कुल निविदा लागत का 10% निष्पादन प्रतिभूति के रूप में जमा करना होगा।

20. सफल बोलीदाता को निरीक्षण के लिए वास्तविक रूप से गाडियां प्रस्तुत करनी होंगी तथा गाडियों के संतोषजनक होने के संबंध में विकास आयुक्त, सीप्ज़ – सेज़ का निर्णय अंतिम होगा। निबंधन तथा शर्तें इसके साथ संलग्न है।

21. जब कभी सीप्ज़-सेज़ को अतिरिक्त वाहनों की आवश्यकता होगी तब ठेकेदार (जिसकी निविदा स्वीकृत की जाएगी) को उन्ही निबंधनों एवं शर्तों के अधीन वाहन उपलब्द करना होगा जिनका स्वीकृत की जाने वाली निविदा में उल्लेख होगा।

22. विस्तृत निबंधन तथा शर्तें सूचना के साथ संलग्न है।

23. परिशिष्ट "क" में पूर्व अर्हता / तकनीकी बोली का फॉर्मेट दिया गया है।

24. परिशिष्ट "ख" में वित्तीय बोली का फॉर्मेट दिया गया है।

पीएल मुथू 03/10/18

(पीएल. मुथू)
सहायक विकास आयुक्त
सीप्ज़ – सेज़

फा.सं.सीप्ज़-सेज़/प्रशासन/एच.सी./473/2016-17/वॉल्यू-II / 2383 | दिनांक 03/10/2018

<u>अनुलग्नकः-</u>

1. विस्तृत निबंधन तथा शर्तें
2. परिशिष्ट "क" में पूर्व अर्हता / तकनीकी बोली का फॉर्मेट
3. परिशिष्ट "ख" में वित्तीय बोली का फॉर्मेट

निबंधन तथा शर्तें

1. निविदादाता के पास किराए पर देने के लिए नवीनतम आवश्यक मॉडलों के वाहन होने चाहिए तथा उसकी पंजीकृत तथा स्थापित कार रेंटल तथा ट्रॅवेल एजेन्सी फर्म होना चाहिए । निविदादाता को निविदा दस्तावेजों के साथ विकास आयुक्त, सीप्ज़ – सेज़, मुंबई को अपने स्वामित्व वाले वाहनों की सूची तथा वाहनों का विवरण संलग्न करना होगा ।
2. इस निविदा के तहत विकास आयुक्त को जो वाहन दिए जाने हों वे 31 अगस्त, 2017 से पहले के विनिर्मित न हों तथा ये 5000 कि.मी से अधिक न चले हों ।
3. ड्यूटी पर रखे जाने वाले वाहनों को चालू अवस्था में तथा साफ-सूथरा रखना होगा । वाहनों के सीट आरामदेय हों तथा इन पर साफ तथा अच्छी क्वॉलिटी के सीट कव्हर लगाए गए हों ।
4. यदि वाहन संतोषजनक स्थिति में नहीं पाए जाते हैं, तो उन्हें बदले जाने के लिए तुरंत लौटा दिया जाएगा । यदि समय पर इनके स्थान पर वाहन नहीं कराया जाता है, तो विकास आयुक्त, सीप्ज़ – सेज़ को बाजार से वाहन किराए पर लेने का अधिकार होगा तथा इस पर होने वाले अतिरिक्त व्यय का वहन निविदादाता को करना होगा ।
5. निविदादाता यह सुनिश्चित करेगा कि नियोजित किए गए चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेन्स हो तथा वाहन केंद्र / राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकारी के साथ पंजीकृत हो । उपलब्ध कराए गए वाहन का चालक महाराष्ट्र सरकार तथा स्थानीय निकायों द्वारा समय - समय पर निर्धआरित यातायात संबंधी नियमों तथा अन्य विनियमों का अवश्य पालन करें ।
6. निविदादाता के पास 24 घंटे संपर्क स्थापित करने में पर्याप्त संख्या में टेलीफोन हो । चालक ड्यूटी करते समय शिष्टाचार तथा प्रोटोकॉल का पालन करे तथा हमेशा साफ-सूथरी वर्दी अर्थात सफेद ट्राउजर के साथ शर्ट तथा काले जूते पहने । वह अपने साथ हमेशा चालू अवस्था में मोबाइल फोन रखे जिसके लिए विकास आयुक्त, सीप्ज़ - सेज़ द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा ।
7. कोट की गई दरों में विशेष रूप से सेवा कर भाग का उल्लेख किया जाए । यदि ऑपरेटर वैध जीएसटीपंजीकरण का प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता है, तो जीएसटी का भुगतान नहीं किया जाएगा ।
8. सफल बोलीदाता 1700 किमी की मासिक सीमा से अधिक कार्यालय के उपयोग के लिए यात्रा करने के लिए अतिरिक्त प्रभार की मांग कर सकता है । किंतु कार चालक द्वारा अतिरिक्त घंटे कार्य करने के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा ।
9. बिलों का भुगतान महीने के आधार पर किया जाएगा । बिल अच्छा हो टाइप करके तथा तीन प्रतियों में इस कार्यालय में प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत किए जाए ।
10. एक लॉगबुक में वाहन के समय तथा माइलेज़ का दैनिक रिकॉर्ड रखा जाए तथा लॉगबुक जांच तथा प्रति हस्ताक्षर के लिए नियमित रूप से सहायक विकास आयुक्त, सीप्ज़ – सेज़, मुंबई के समक्ष प्रस्तुत किया जाए ।
11. शून्य आधारित मील के अनुसार किराए प्रभार का निर्धारण किया जाएगा अर्थात रिपोर्टिंग स्थान से रिलीविंग स्थान से मील की गणना प्रारंभ की जाएगा / समाप्त की जाएगी ।
12. एक बार किसी विशेष ऑपरेटर से कार किराए पर लेने के पश्चात कार तथा चालक तब तक नहीं बदला जा सकेगा, जब तक की विकास आयुक्त, सीप्ज़ – सेज़, मुंबई द्वारा इसके लिए अनुरोध न किया गया हो । अधिकारियों द्वारा किसी भी दिन तथा किसी भी समय मांगे जाने पर वाहन उपलब्ध कराया जाएगा ।
13. विकास आयुक्त, सीप्ज़ – सेज़ मुंबई केवल किराए प्रभार का भुगतान करने के दायी होंगे । अन्य देयताएं अर्थात चालक का मासिक प्रभार, वाहन की मरम्मत तथा रखरखाव, बिमा, पेट्रोल/डीजल, ऑइल तथा अन्य आनुषंगिक व्यय आदि का वहन निविदादाता द्वारा किया जाएगा । सीप्ज़ – सेज़ की देयता संविदा मूल्य तक ही सीमित होगी ।
14. यदि सरकारी ड्यूटी के दौरान वाहन का ब्रेकडाउन हो जाए, तो फर्म की यह जिम्मेदारी होगी कि वह इसके बदले में दूसरा वाहन तत्काल उपलब्ध कराए । यदि समय पर वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है / उपलब्ध ही नहीं कराया जाता है, तो विकास आयुक्त, सीप्ज़ – सेज़ को बाजार से

पीएल 323
03/1/18

वाहन किराए पर लेने का अधिकार होगा तथा विकास आयुक्त, सीप्ज़ – सेज़ द्वारा इसके चलते किए जाने वाले अतिरिक्त व्यय का वहन निविदादाता को करना होगा।

15. यह ठेका दिए जाने की तारीख से 12 महीनों की अवधि के लिए वैध होगा तथा यदि निविदादाता द्वारा दी जाने वाली सेवाएं संतोषजनक पाई जाती है, तो इस ठेके की अवधि पार्टियों की परस्पर सहमति से आगे बढ़ाई जा सकती है।

16. यदि ठेकादार द्वारा दी गई सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई जाती है, तो विकास आयुक्त, सीप्ज़ – सेज़ को यह हक होगा कि वे ठेकेदार को एक महीने की पूर्व सूचना देकर ठेका समाप्त कर दे। ठेकेदार ऐसी कार्रवाई के चलते उसको होने वाली क्षति के लिए मुआवजे का दावा नहीं कर सकेगा। यदि ठेकेदार एक से अधिक अवसरों पर सेवाएं उपलब्ध कराने में विफल रहता है, तो सीप्ज़ – सेज़ को यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार को बिना कोई सूचना दे ठेका समाप्त कर दे।

17. यदि सफल बोलीदाता निविदा अवधि के दौरान ठेका निष्पादित करने से अस्वीकार करता है अथवा निविदा की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है अथवा अपनी बोली वापस लेता है, तो ऐसी दशा में बयाना जमा राशि जप्त कर ली जाएगी।

18. सीप्ज़ – सेज़, मुंबई के पास सभी अथवा किन्ही ऑफरों अथवा एक से अधिक ऑफरों को बिना कोई कारण बताए स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

19. किसी भी प्रकार का किसी भी मामले में कोई विवाद होने की स्थिति में सीप्ज़ – सेज़, मुंबई का निर्णय तथा बाध्यकारी होगा।

20. जब कभी सीप्ज़ – सेज़ को आवश्यकता हो, तो महाराष्ट्र राज्य के अंदर कही भी जाने के लिए वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदक के पास पूरे महाराष्ट्र में गाडी ले जाने का वैध टैक्सी परमिट अवश्य हो।

21. ठेका दिए जाने पर, ठेकेदार को आरसी बुक तथा कंप्रेहेन्सिव पॉलिसीज़ की प्रमाणित प्रतिलिपियां सीप्ज़ – सेज़, मुंबई को प्रस्तुत करनी होंगी।

22. दुर्घटना होने पर इसके चलते होने वाले सभी दावों का भुगतान निविदादाता को करना होगा।

23. निविदादाता तथा चालक को सीप्ज़ – सेज़ के तथा जिस अधिकारी को वाहन उपलब्ध कराया जाए के सभी अनुदेशों का पालन करना होगा।

24. यदि वाहन उपर्युक्त निबंधनों एवं शर्तों का अनुपालन करने में किसी भी दिन विफल रहता है, तो प्रति वाहन की दर से प्रतिदिन 1000/- रू. का अर्थदंड लगाया जाएगा।

25. इस करार की अवधि के दौरान यदि कोई ऐसा मामला जोकि इस करार के अंतर्गत विनिर्दिष्ट नहीं कराया गया है, सामने आता है, तो इसका निर्णय सीप्ज़ – सेज़ द्वारा किया जाएगा जो अंतिम तथा निर्णायक होगा।

26. उपर्युक्त विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त इस कार्यालय द्वारा अतिरिक्त निबंधन एवं शर्ते स्वीकार नहीं की जाएंगी।

27. "परिशिष्ट "क" में पूर्व अर्हता / तकनीकी बोली का फॉर्मेट दिया गया है।

28. "परिशिष्ट "ख" में वित्तीय बोली का फॉर्मेट दिया गया है।

पीएल मुथु 03/10/18

(पीएल. मुथू)
सहायक विकास आयुक्त,
सीप्ज़ – सेज़

फा.सं.सीप्ज़-सेज़/प्रशासन/एच.सी./473/2016-17/वॉल्यू-II

दिनांक 03/10/2018

अनुलग्नक:-

1. परिशिष्ट "क" में पूर्व अर्हता / तकनीकी बोली का फॉर्मेट
2. परिशिष्ट "ख" में वित्तीय बोली का फॉर्मेट

परिशिष्ट – क

(I) मुख्य विवरण:

1. एजेंसी का नाम
2. कार्यालय का पता
3. संपर्क टेलीफोन नं.
4. संपर्क दूरभाष नं.
5. फैक्स नं.
6. ई-मेल का पता
7. पैन नं. (कृपया प्रमाण संलग्न करे)

(II) पूर्व अर्हता विवरण:

1. क्या निविदादाता फर्म / कंपनी है (प्रमाण संलग्न करें)।
2. जीएसटी पंजीकरण (प्रमाण संलग्न करें)।
3. दिनांक 31.8.2018 को पिछले 07 वर्षों का अनुभव (प्रमाण संलग्न करें)।
4. कम से कम 10 लाख का वार्षिक टर्नओवर (प्रमाण संलग्न करें)।
5. फर्म ने उद्धरित आइटमों के नमूने प्रस्तुत किए हैं (हां / नहीं)।
6. अलग सील बंद लिफाफे में वित्तीय बोली प्रस्तुत किया गया है (हां / नहीं)।
7. कम से कम 10 ऐसे ग्राहकों की सूची जिनमें सरकारी सार्वजनिक निजी क्षेत्र के उपक्रम (प्रमाण संलग्न करें)।
8. इस आशय की स्वघोषणा की उन्हें सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के तथा निजी क्षेत्र के ऊपक्रमों द्वारा काली सूची में नहीं ड़ाला गया है।
9. फर्म मुंबई / बृहन्मुंबई के अंतर्गत आता है (प्रमाण संलग्न करें)।
10. वेतन तथा लेखा अधिकी, सीप्ज़ – सेज़ के नाम से मुंबई में देय 50,000/- रू. (पचास हजार रू.) का बैंक ड्राफ्ट के रूप में बयाना राशि जमा (डिमांड ड्राफ्ट संलग्न)।
11. फर्म के जिम्मेदार प्राधिकृ प्रतिनिधि का नाम।
12. फर्म निम्नलिखित घोषणा प्रस्तुत करे।

"मैं / हम इसके द्वारा घोषणा करता हूं / करते हैं कि निविदा दस्तावज़ों को मैने / हमने पढ़ा है। मैं / हम निविदा में उल्लिखित सभी निबंधनों तथा शर्तों को स्वीकार करता हूं / करते हैं तथा इनका मैं / हम कड़ाई से अनुपालन करूंगा / करेंगे।

सील के साथ निविदादाता का नाम
तथा पता एवं हस्ताक्षर

दिनांक

पीएल/33
03/11/18

परिशिष्ट – ख

वित्तीय बोली फॉर्मेटः

क्रम संख्या	कार का मेक तथा मॉडेल	इंधन प्रकार (पेट्रोल/डीजल)	वाहनों की आवश्यकता की संख्या	प्रति कार की दर (सभी लागू करों को जोड़कर) (रू.में)	अतिरिक्त प्रभार प्रति कि.मी. (रू.में)
1					

टिप्पणीः- क. कोट किए गए कुल प्रभार में सभी खर्चे शामिल होंगे।
ख. उपर्युक्त तालिका में लागू दरों के अनुसार रूपए में आइजीएसटी का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए।

हम वचन देते हैं कि हमारे द्वारा ऊपर कोट की गई दरों में संविदा की वैधता अवधि के दौरान कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा हम उचित कॉलमों में दर्शाई गई भुगतान अनुसूची को स्वीकर करते हैं।

सील के साथ निविदादाता का नाम
तथा पता एवं हस्ताक्षर

दिनांकः-

पीए लक्ष्मण
03/1/18

भारत सरकार / Government of India
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / Ministry of Commerce & Industry,
विकास आयुक्त का कार्यालय / Office of the Development Commissioner,
सीप्ज़ – विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ-Special Economic Zone,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई / Andheri (E), Mumbai – 400 096
टेलि. / Tel. : 022-28294789/28294500 फैक्स / Fax : 28291754,
ई-मेल / E-mail: ddcseepz-mah@nic.in, वेबसाइट / Website: www.seepz.gov.in

सत्यमेव जयते

NOTICE INVITING TENDER

Sealed Quotations are invited for hiring of vehicles from the vehicle providers as per the Terms & Conditions enclosed herewith, for the Office of Development Commissioner, SEEPZ-SEZ, Mumbai.

Category	Nos. of vehicles Required	Remarks
Maruti Desire/Tata Indigo or Equivalent (Petrol/Diesel) (Yellow Number plate)	01 (One)	To be used up to 30 days or 1700 kms. in a Month. The vehicle will be under exclusive control of SEEPZ SEZ during 24 hours a day and 365 days in a year.

1. Important points to note:

1.1	Pre-bid conference	12/10/2018 at 11.30 AM at the Office of the Estate Manager, SEEPZ SEZ Authority
1.2	Pre-Qualification Bid	The tenderer should attach the copy of the self attested documents as per Annexure-I
1.3	Evaluation and Selection	As per Annexure – II
1.4	Period of sale of tender document	03/10/2018 to 24/10/2018 up to 12:00 hrs. and the tender documents may be downloaded from www.seepz.gov.in and www.eprocure.gov.in
1.5	Cost of tender documents	Free of Cost
1.6	Last Date of submission of duly filled – in tender document with time (sealed condition)	24/10/2018 upto 14:30 hrs.

03/10/18

1.7	Date & Time of opening of tender document	24/10/2018 at 15:30 Hrs in the conference room of SEEPZ Service Center
1.8	Security Deposit/ Performance Guaranty Deposit (PGD)	10% of the Contract value.
1.9	EMD/Bid Security	Rs. 50,000/- (Rupees Fifty Thousand only)

2. Such tenderers may also submit details of other such Organizations to which they have extended similar services in the recent past as well as present and total number of owned vehicles with the Registration No. in their tender.
3. The interested tenderers are requested to submit their bids mentioning therein the price to be charged by them (inclusive of GST). The tenderer should give GST Registration No. in their tender documents.
4. The tender documents can be downloaded from the website www.seepz.gov.in and website Central Public Procurement Portal www.eprocure.gov.in
5. The firm should have experience of atleast 07 years in the field as on 31/08/2018.
6. The firm should have a turnover of at least Rs. 10.00 lakhs per annum in the field.
7. The firm should submit a list of atleast 10 clients covering Government, Public and Private Sectors undertaking.
8. The firm should be registered with Income Tax Department and have a PAN / GIR / GST Registration No.
9. The firm should be functioning in the Municipal limits of Mumbai or Greater Mumbai district.
10. The quotations should have two covers, Cover-1 super-scribed as "Pre-qualification / Technical bid" and Cover-2 super–scribed as "Financial bid". These sealed covers must be put in an envelope which shall also be sealed and super-scribed with the words "Pre-qualification / Technical bid" for procurement of Vehicle.
11. Last date for submission of tender is 24/10/2018 upto 14:30 hrs, which will be opened on the same day at 15:30 hrs. in the Conference Hall of SEEPZ Service Centre Bldg., in the presence of the parties or their Authorized representative(s) who wish to be present at the time of opening of the tenders. The Development Commissioner, SEEPZ-SEZ reserves the right to accept or reject any or all of the tenders without assigning any reason. Tenders received after last date and time as indicated herein above Para will not be considered.
12. The Earnest Money Deposit of Rs. 50,000/- (Rupees Fifty Thousand only) (Refundable, if the bid is not successful) in the form of Demand Draft / Bankers Cheque in favour of "Pay & Account Officer SEEPZ-SEZ" payable at Mumbai is to be submitted at the time of submission of tender in a separate envelope bearing the Name of the bidder and marked "Bid Security". Bids without the EMD shall

03/10/18

be treated as void and will not be considered for opening. The tender without EMD and in any other form than prescribed will not be considered.

13. The Tender must be duly signed with seal of Company/Firm and complete in printed form and every page of the tender documents including specifications etc. shall be duly signed by the bidder at the left hand corner bottom of the documents and every correction/ deletion/ addition/ overwriting/ slip pasted must be signed by bidder.
14. Incomplete, ambiguous and conditional tenders will not be entertained.
15. The bidder should submit the certificate of authorization of the Authorized Signatory/ies. (applicable in case of the Association of Person / Company / Partnership firm)
16. In the event of the tender being submitted by a firm, it must be signed separately by each partner thereof, or in the event of the absence of any partner, it must be signed on his behalf by a person holding a Power of Attorney authorizing him to do so.
17. The Committee may, if so desired, relax/amend one or other condition to determine eligibility of the bidder, without assigning any reason, thereof. Any enquiry, after submission of the bid, shall not be entertained.
18. In case of the withdrawal of the bid, the EMD will be forfeited.
19. The successful bidder shall be required to deposit performance security as 10% of the total tender cost.
20. The successful bidder shall be required to physically produce the vehicle for inspection and the decision as regards the satisfactory condition of the Vehicle by the Development Commissioner, SEEPZ-SEZ shall be final. The terms and conditions are enclosed herewith.
21. Whenever, SEEPZ-SEZ requires extra vehicle, the awardee tenderer will have to make available the same on the same terms and conditions of the contract.
22. The detailed terms & conditions are enclosed with this Notice.
23. The format of Pre-Qualification/Technical bid is appended at "Annexure-A".
24. The format of Financial bid is appended at "Annexure-B".

03/10/18

(PL. Muthu)
Asstt. Development Commissioner,
SEEPZ-SEZ

F. No. SEEPZ-SEZ/ADMN/H.C./473/2016-17/vol.II / 23831 Date : 03/10/2018

Encl: -

1. The detailed terms & conditions.
2. The format of Pre-Qualification/Technical bid is appended at "Annexure-A".
3. The format of Financial bid is appended at "Annexure-B".

TERMS AND CONTITIONS

1. The tenderer should have a registered and well established Car rental/Travel Agency/ Firm having latest required models of Vehicles for hiring. List of Vehicles owned by the tenderer, the details of the vehicles to be provided to the Development Commissioner, SEEPZ-SEZ, Mumbai must be attached along with the tender documents.
2. The Vehicle proposed to be given to the Development Commissioner under this tender should have not been manufactured before the 31st August, 2017 and should not have run for more than 5000 Kms.
3. The vehicle on duty shall have to be kept in perfect running and clean condition. The seats should be comfortable and should always be covered with neat and good quality seat covers.
4. In case, condition of vehicle is not found to be satisfactory, the same shall be returned for immediate replacement. In case no replacement is provided on time the Development Commissioner, SEEPZ-SEZ would have a right to hire a vehicle from the market and the additional cost incurred will be borne by the tenderer.
5. The tenderer would ensure that the driver employed should have a valid Driving License and the vehicle should be registered with the concerned Authority of Central/State Government. The tenderer shall provide a certificate to this effect. The driver of the vehicle provided must follow traffic rules and other regulations prescribed by the Government of Maharashtra and Local Bodies from time to time.
6. The tenderer should have adequate number of telephones for establishing contact round the clock. The driver shall observe all the etiquette and protocol while performing the duty and should always be in neat & proper uniform i.e. Shirt with white trouser and Black shoes and must carry a mobile phone in working condition for which, no separate payment shall be made by the Development Commissioner, SEEPZ-SEZ.
7. The rates quoted should specifically mention the GST component. No GST will be paid if the operator fails to provide proof of valid GST Registration No.
8. The successful bidder can charge extra for the journey performed for office use in excess of monthly limit of 1700 kms. No charges for extra hours of duty performed by the car driver will be payable.
9. The billing will be done on monthly basis, preferably typed and in triplicate, shall be submitted to this office in the 1st week of each month.
10. A daily record indicating time and mileage for the vehicle shall be maintained in a log book and log book shall be submitted to the Assistant Development Commissioner, SEEPZ-SEZ, Mumbai regularly for scrutiny and countersigning.

11. The hiring charges shall be on the basis of zero based mileage i.e. mileage starting/ending from the reporting place to the relieving place.

12. Once the hiring of Car from a particular operator, the Car and Driver should not be changed unless requested by the Development Commissioner, SEEPZ-SEZ, Mumbai. The vehicle must be available at any time any day as desired by the officers considered.

13. The Development Commissioner, SEEPZ-SEZ, Mumbai shall be liable to pay the hiring charges only and other liabilities like monthly charges of Driver, Repair and Maintenance of Vehicle, Insurance, Petrol/Diesel, Oil and any other incidental expenses etc. shall be borne by the tenderer. The liability of the SEEPZ SEZ is limited to the contract value only.

14. In case of breakdown of any vehicle during Official duty, it shall be the responsibility of the firm to provide a substitute vehicle replacement immediately. In case vehicle does not report on time/ does not report at all, the Development Commissioner, SEEPZ-SEZ would have a right to hire a vehicle from the market and the additional cost incurred by the Development Commissioner, SEEPZ-SEZ will be borne by the tenderer.

15. The contract will be valid for the term of 12 months from the date of award the contract and if the services rendered by the tenderer are found satisfactory, then the contract may be considered for the further extension of period as may be agreed upon and with the mutual consent of the parties.

16. In case of the services rendered by the contractor found unsatisfactory, the Development Commissioner, SEEPZ-SEZ is entitled to terminate the contract by giving one month prior notice to the contractor. The contractor will have no claim for compensation, for any loss sustained by him owing to such action. If the contractor fails to provide the services on more than one occasion, in that case, the SEEPZ-SEZ reserves the right to terminate the contract without giving any prior notice to the contractor.

17. Earnest Money Deposit shall be forfeited if the successful bidder refuses or neglects to execute the contract or fails to comply with the conditions of the tender or withdraws his bid during the tender period.

18. The SEEPZ-SEZ, Mumbai reserves the right to reject all or any of the offers or accept more than one offer without assigning any reason whatsoever.

19. In case of any dispute of any kind and in any respect whatsoever, the decision of the SEEPZ-SEZ, Mumbai shall be final and binding.

20. The Vehicle must be available / running in the Maharashtra State as and when the SEEPZ-SEZ requires. The applicant must have a valid Taxi Permit to run in the State of Maharashtra.

03/10/18

21. On awarding the contract, the contractor has to furnish to SEEPZ-SEZ, Mumbai the certified copies of RC books and the comprehensive Insurance Policies.
22. In the case of any Accident, all the claims arising out of it shall be met / settled by the tenderer.
23. The tenderer and driver shall be bound to carry our instructions of the SEEPZ-SEZ, as well as of the Officers assigned to the vehicle.
24. A penalty of Rs. 1000/- per day per vehicle may be levied if any vehicle fails to meet above terms & conditions on any day.
25. Any matter during the period of this agreement, which has not been specifically covered by this agreement, shall be decided by the SEEPZ-SEZ, whose decision shall be final and conclusive.
26. No additional terms & conditions over and above the conditions stipulated above shall be entertained by this office.
27. The format of Pre-Qualification/Technical bid is appended at "Annexure-A".
28. The format of Financial bid is appended at "Annexure-B".

03/10/18

(PL. Muthu)
Asstt. Development Commissioner,
SEEPZ-SEZ

F. No. SEEPZ-SEZ/ADMN/H.C./473/2016-17/vol.II Date: 03/10/2017

Encl.:

1. The format of Pre-Qualification/Technical bid is appended at "Annexure-A".
2. The format of Financial bid is appended at "Annexure-B".

ANNEXURE – A

(I) PRIMARY DETAILS :

1. Name of the Agency
2. Office Address
3. Contact telephone No.
4. Contact Mobile No.
5. Fax No.
6. E-mail address
7. PAN No. (Attach proof)

(II) PRE-QUALIFICATION DETAILS :

1. If the Tenderer is a Firm / Company (Attach proof)
2. Registration with GST (Attach proof)
3. Experience of last 07 years as on 31/08/2018 (Attach proof)
4. Turnover of at least Rs. 10.00 lakhs per annum (Attach proof)
5. The tender is duly signed with seal of company/firm (Yes/No)
6. The "financial Bid" enclosed in a separate sealed envelope (Yes/No)
7. List of at least 10 clients covering Govt., Public and Private sector undertakings (Attach proof)
8. Self declaration to the effect that they have not been black listed by the Government or any Public and Private sector undertakings / Govt. agencies.
9. The firm should be of Mumbai / Greater Mumbai district. (Attach proof)
10. Earnest Money Deposit in the shape of bank draft of Rs. 50,000/- (Rupees Fifty Thousand) in favour of the "Pay & Accounts Officer, SEEPZ SEZ" payable at Mumbai (Attach Demand Draft)
11. Name of the responsible authorized representative of the firm
12. The firm should submit a following declaration :

"I / We hereby declare that all the terms and conditions of tender document has / have been read by me / us and I / We accept all the terms and condition mentioned in the tender and shall comply with them strictly."

Name & Address of tenderer
with seal and signature

Date : ____________

03/11/18

ANNEXURE – B

FINANCIAL BID FORMAT:

Sr. No.	Make of Car & Model	Fuel Type (Petrol / Diesel)	No. of vehicle required	Rate per Car (Inclusive of all applicable taxes) (In Rs.)	Extra Charge Per Km (In Rs.)
1					

Note : a. *The total charges quoted should be inclusive of all Expenses.*
b. *The IGST in Rupees as per the rate applicable, should indicated specifically in the above table.*

We undertake that the rates quoted above by us will not be changed during the validity period of contract and accept the payment schedule as described in the appropriate column.

Name & Address of tenderer
with seal and signature

Date : ___________